फर्द अहकाम

गुल्ला बनाम कल्याण वगै0

प्रार्थना पत्र संख्याः 08/2023

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	05.02.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं। बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाके ग्राम कालीघाटी पटवार हल्का बिलौची भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिलौची तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या 73 के खसरा नम्बर 473 रकबा 0.47 हैक्टेयर,, खसरा नम्बर 475 रकबा 2.92 हैक्टेयर विवादित भूमि है। प्रार्थीगण के खसरा नम्बरान के दक्षिण की ओर नया खसरा नम्बर 476 व 467 कायम कर दिया गया जो प्रतिवादी संख्या क्रमश 18 व 467 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 16 के नाम दर्ज कर दिया गया। खसरा नम्बर 476 गत खसरा नम्बर 123 से बनाये गये है। तथा खसरा नम्बर 467 खसरा नम्बर 118 से बनाये गये है। भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 121 व 122 तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी 123 व 118 की खातेदारी की सीमा के मध्य कोई गैर मु. नाला दर्ज नही था परन्तु भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान दोनो की सीमाओ के मध्य एकरास्तानुमा आकृति बना दी गई जबकि पूर्व में इस प्रकार की कोई आकृति नही थी। खसरा नम्बर 123 से खसरा नम्बर 476 का भाग रास्तानुमा बनाकर खसरा नम्बर 475 की दक्षिणी ओर खसरा नम्बर 397 व 451 की उत्तरी सीमा पर कायम कर दिये गये तथा खसरा नम्बर 475 व 473 की दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर खसरा नम्बर 467 कायम कर दिया गया। जो खसरा नम्बर 452, 454, 455 की उत्तरी सीमा पर है। अर्थात प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की भूमि गत खसरा नम्बर 122 व 118 के मध्य एक रास्तानुमा नक्शा इन्द्राज कर दिया गया जो गत नक्शा ट्रेस से विपरीत है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण भूमि के उत्तरी सीमा उपर नीचे है। जिससे भी यह साबित है कि प्रार्थीगण की भूमि में किसी प्रकार का रास्ता अथवा पानी का बहाव नही हो सकता है। हाल भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान प्रार्थीगण के साबिक खसरा नम्बरान 122 का हाल नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 473, 472, 475 [illegible] गया तथा दक्षिणी सीमा पर रास्तानुमा आकृति खसरा नम्बर 476 का भाग व एक नया खसरा नम्बर 467 कायम कर दिया गया जिसे दुरूस्त करवाने का प्रार्थीगण पूर्ण अधिकार है क्योंकि दौराने भू प्रबंध कार्यवाही किसी खातेदार की भूमि का रकबा अथवा नक्शा परिवर्तित नही किया जा सकता है। हाल भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान विवादित आराजी का हाल खसरा नम्बर व हाल नक्शा ट्रेस बनाया गया जो पूर्व जमाबंदी में दर्ज रकबे से कम रकबा व नक्शा ड्रेस में दक्षिणी सीमाओ को कम कर गत नक्शा ड्रेस से छोटे आकार का नक्शा ड्रेस तैयार कर दिया गया जिसको	

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.20 14:56:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

गुल्ला बनाम कल्याण वगै0

प्रार्थना पत्र संख्या: 08/2023

दुरूस्त करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी है। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 23-01-2023 को प्रार्थीगण के खेत की पर जबरन अतिक्रमण करने की कुचेष्ठा करने व ऐलानिया धमकी देने पर वाद कारण उत्पन्न होने पर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्राथीगण अपने हिस्से की भूमि पर खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही है। अगर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो अप्रार्थीगण उक्त दुरूस्ती अंकन के आधार पर भूमि को विक्रय हस्तान्तरण खुर्द बुर्द कर देगे, निर्माण कर कर देगे, प्रार्थीगण को उसके हिस्से बेदखल कर देगे जिससे प्रार्थीगण को अतुलनीय क्षति कारित होगी। जिसकी क्षति पूर्ति संभव नही इसलिए प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को ता फैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर हमने पाया कि प्रार्थी उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती, नक्शा दुरूस्ती का है। प्रार्थी/वादी की खातेदारी भूमि खसरा नं 473 व 475 पर प्रार्थी काबिज काश्त है। उक्त खसरा नम्बरान पर अप्रार्थीगण को कोई हक अधिकार नहीं है कि वे प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की भूमि की सीमाओ से छेडछाड करें। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित हैं। उक्त दोनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित होता है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की भूमि वाके ग्राम कालीघाटी पटवार हल्का बिलौची भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिलौची तहसील आमेर जिला जयपुर खसरा नम्बर 473 [illegible] हैक्टेयर,, खसरा नम्बर 475 रकबा 2.92 हैक्टेयर [illegible] यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली [illegible] दर्ज [illegible] से कम हो मूल वाद के हमफिता रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.20 14:56:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर